

2026:AHC-LKO:40245-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी संख्या - 3398 / 2026

बड़की

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य ..... प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता: अतुल कुमार सिंह गौर, सुशील प्रकाश पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह ने प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।
3. वर्तमान याचिका के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों (राहतों) का दावा किया गया है:-

"(i) न्याय के हित में परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 4 को ग्राम रसूलपुर कला, परगना-रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में स्थित तालाब गाटा संख्या 405/1.163 हेक्टेयर से विरोधी पक्षकार संख्या 6, राम सुरेश के अवैध कब्जे को हटाने तथा विरोधी पक्षकार संख्या 3 द्वारा प्रदान किए गए पट्टे के आधार पर कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दिया जाए, जो नीलामी में याचिकाकर्ता के पति को मत्स्य पालन के लिए आवंटित किया गया था।

(ii) न्याय के हित में परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विरोधी पक्षकारों को निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम रसूलपुर कला, परगना-रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में स्थित तालाब गाटा संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

405/1.163 हेक्टेयर पर अवैध कब्जे के लिए विरोधी पक्षकार संख्या 6 से मुआवजा वसूल करें, जो नीलामी के माध्यम से याचिकाकर्ता के पति लखन के पक्ष में आवंटित किया गया था।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम रसूलपुर कला, परगना रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में स्थित तालाब गाटा संख्या 405/1.163 हेक्टेयर के संबंध में उसके पास वर्तमान समय में मछली पकड़ने के अधिकार मौजूद हैं। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि मत्स्य अधिकार होने के बावजूद, जो 01.12.2026 तक वैध हैं, उसे कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि उपयुक्त आदेश पारित किए जाएं ताकि याचिकाकर्ता को कब्जा दिया जा सके और अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके।
5. उपर्युक्त तर्कों पर विचार करने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता के पति लखन ने पूर्व में रिट-सी संख्या 4572/2025 (लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आये थे, जिसमें इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से राज्य प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता के इस कथन को दर्ज करते हुए उक्त याचिका का निस्तारण कर दिया गया था कि तालाब खाली पड़ा है और याचिकाकर्ता अपने मत्स्य अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि इसके बाद उसने अगस्त 2025 में कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया, हालांकि, अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है।
6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से विशेष रूप से यह प्रश्न पूछा गया कि उन्हें कब्जा क्यों नहीं मिल सका, तो यह सूचित किया गया कि वास्तव में निजी प्रत्यर्थी संख्या 6, जो याचिकाकर्ता के ही एक पूर्वज के वंश से है, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
7. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां याचिकाकर्ता और निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 के बीच एक निजी विवाद है, यह न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें विवादित प्रश्न शामिल हैं और इसके अलावा, याचिकाकर्ता विरोधी पक्षकार संख्या 6 के खिलाफ अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. दी गई परिस्थितियों और तथ्यों में, जहां राज्य का कथन है कि वे याचिकाकर्ता के मत्स्य संचालन के अधिकारों में न तो हस्तक्षेप कर रहे हैं और न ही कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से राज्य की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। विवाद, यदि कोई है, तो वह याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 6 के बीच प्रतीत होता है, जिसे नियमित अदालत में उपयुक्त साधनों के माध्यम से उठाया जा सकता है।
9. पूर्वोक्त के आलोक में, यह न्यायालय इस याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार अपने अधिकारों का न्यायनिर्णयन कराने का विकल्प खुला छोड़ता है।
10. उक्त टिप्पणी के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह)

4 जून, 2026

एस.पी.

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।